

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 504]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2020—पौष 10, शक 1942

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2020

अधि. क्र. 477 एफ-1-427-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् शाहगंज, जिला सीहोर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 04, डॉ. अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र0 05, महर्षि वाल्मीकी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 15, रानी दुर्गावती वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 01, महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 02, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड (3) वार्ड क्र0 10, स्वामी विवेकानंद वार्ड (4) वार्ड क्र0 13, डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 05, महर्षि वाल्मीकी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक

6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 02, महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड (2) वार्ड क्र0 10, स्वामी विवेकानन्द वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 06, डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड (2) वार्ड क्र0 07, छत्रपति शिवाजी वार्ड (3) वार्ड क्र0 08, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड (4) वार्ड क्र0 09, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2020

क्रमांक 477 एफ-1-427-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 477 एफ-1-427-2020-अठारह-3, दिनांक 31 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st December 2020

Not.-No. 477 F 1-427-2020-XVIII-3.—In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for Nagar Parishad Shahganj, District Sehore published as Follows:—

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	02	(1) Ward No. 04, Dr. Ambedkar Ward (2) Ward No. 05, Maharishi Valmiki Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 15, Rani Durgavati Ward
3	No. of wards Reserved for other Backward Classess	04	(1) Ward No. 01, Mahatma Gandhi Ward (2) Ward No. 02, Maharani Laxmibai Ward (3) Ward No. 10, Swami Vivekanand Ward (4) Ward No. 13, Dr. Shyama Prasad Mukherjee Ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	01	(1) Ward No. 05, Maharishi Valmiki Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil

6	No. of Ward Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 02, Maharani Laxmibai Ward (2) Ward No. 10, Swami Vivekanand Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	04	(1) Ward No. 06, Dr. Zakir Hussain Ward (2) Ward No. 07, Chhatrapati Shivaji Patel Ward (3) Ward No. 08, Sardar Vallabhbhai Patel Ward (4) Ward No. 09, Lal Bahadur Shastri Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.